न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 104/2024   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/285**
दायर दिनांक :– 20.06.2024   **निर्णय दिनांक :– 22.12.2024**

1. जबरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत नि. टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. ग्राम पंचायत टेपू पंचायत समिति बाप तहसील फलोदी जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 2.9056 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 252 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा टेपू उर्फ जोधाणी पटवार क्षेत्र टेपू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। खसरा नमबर 249 में 0–05 बीघा भूमि पर सार्वजनिक सभा भवन बना हुआ है तथा यह सभा भवन प्रार्थी के खेत में कॉर्नर पर बंना हुआ है। प्रार्थी के खेत की पत्थरगढी किये जाने से इस सभा भवन में आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है जमाबंदी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा की पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 16.05.2024 को जारी आदेश क्रम संख्या 32 की पालना में दिनांक 20.05.2024 को हल्का पअवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर जी.पी.एस. से मुस्तकिल बिन्दु से पैमूाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा मौतबीरान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिन्हन कायम किये गये। दिनांक 20.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरान् की पैमाईश कर कायत किये गये सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनगर अपने उकत खसरान् की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पटिट्या रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना चाहते है। प्रार्थी उक्त भूमि बाड़, तारबंदी नहीं होने प्रार्थी को अत्याधिक आर्थिक नुकशान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 20.05.2024 के माफिक पैमाईश फर्द सीमा पर पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव टेपू उर्फ जोधाणी पटवार हल्का टेपू तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 2.9056 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 252 रकबा 0.2023 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवांरा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 20.05.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव टेपू उर्फ जोधाणी पटवार हल्का टेपू तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 2.9056 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 252 रकबा 0.2023 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसिलए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 20.05.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि गांव टेपू उर्फ जोधाणी पटवार हल्का टेपू तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 2.9056 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 252 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 20.05.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)